कार्यालय कलेक्टर,जिला–खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक– 39 /वाचक–2/2014 [कलेक्टर कैम्प] खरगोन, दिनांक 30/10/14

[विविध 4057 III/14]

प्रति,

सचिव,
राजस्व मंडल मध्यप्रदेश,
मोतीमहल ग्वालियर.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
आवक क्र. 3687
दिनांक 19-11-14

RP-11105
19-11-14

विषयः– पुर्नविलोकन की अनुमति बाबद्।

–0–

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उपआयुक्त सहकारिता जिला खरगोन का पत्र क्रमांक साख/12/1396/दिनांक 01.10.2012 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के भंडारण संरचना के निर्माण हेतु खरगोन के सर्वे नंबर 663/1 रकबा 21.480 हे. पैकि रकबा 0.40 एकड़ (115 बाय 150)ना. का.चरनोई मद की शासकीय भूमि की मांग की गई थीं।

म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ6–115/2011 /सात /नजूल/दिनांक19.12.2011 के तहत् रा.पु.परिपत्र 4–1 की कंडिका 26 में किये गये संशोधन परिपत्र क्रमांक 6–160–91/सात/शा.–2/बी/दिनांक 01 जनवरी 1992 की अनुसूची के क्रमांक 8 में विहित प्रावधानों में अतिरिक्त रियायत देते हुए बिना प्रब्याजी एवं एक रूपये प्रतिवर्ष वार्षिक भू–भाटक पर भूमि आबंटन के प्राप्त अधिकारों के तहत् प्रकरण प्रस्ताव तहसीलदार खरगोन से शासन निर्देशानुसार पूर्णता कर चाहा गया। तहसीलदार खरगोन से प्रकरण क्रमांक 353/बी–121/12–13 संपूर्ण पूर्णता उपरांत प्राप्त होने पर न्यायालय अपर कलेक्टर खरगोन के प्रकरण क्रमांक 117/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2014 से आवेदित भूमि सहकारी संस्था खरगोन को भंडारण संरचना के निर्माण हेतु म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 की धारा–237 के तहत् नि.चरनोई मद से कम करते हुये उपायुक्त सहकारिता विभाग को आवंटित की गई।

प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था खरगोन, द्वारा उक्त आदेश की शर्त क्रमांक 03 व 05 का पालन नहीं किया एवं निर्माण के पूर्व वैध अनुमतियां नहीं लेने संबंधी शिकायत के क्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 401/वाचक–2/2014 दिनांक 24.03.2014 से शासकीय भूमि आबंटन आदेश दिनांक 24.03.2014 निरस्त किया गया है।

उपआयुक्त सहकारिता खरगोन द्वारा पत्र क्रमांक 2014/941/दिनांक 22.07.2014 के संलग्न प्रबंधक आ.जा.सेवा सह.समिती खरगोन का पत्र क्रमांक 09/दिनांक 09.07.2014 संलग्न कर शर्तो की पूर्णता करने एवं संस्था के कृषक सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुये भूमि आबंटन निरस्ती आदेश पर पुनः विचार हेतु निवेदन किया हैं।

अतः प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खरगोन को आबंटित भूमि के निरस्ती आदेश दिनांक 24.03.2014 पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किये जाने से म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–51 के तहत् पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न– यथोपरि ।

कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म.प्र.)

Recd.
2/12/14.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 4057–तीन/2014 [कलेक्टर(राजस्व)/उपायुक्त(अ.हस्तांतरित)] जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2016	आवेदक शासन की ओर श्री राजीव गौतम पेनल लॉयर उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री अजीत जैन अधिवक्ता उपस्थित । उनके पुनर्विलोकन की अनुमति पर तर्क सुने गये । कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा कार्यालयीन आदेश कमांक 401/वाचक–2/2014 दिनांक 24–3–14 जिसके द्वारा शासकीय भूमि आवंटन आदेश दिनांक 24–3–14 निरस्त किया गया है, के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिवत आदेश पारित किया जाये । अध्यक्ष	